CERTIFICATE PROGRAMME IN CONSUMER PROTECTION

Term-End Examination June, 2019

00693

CPI: CONSUMER PROTECTION ISSUES

Time: 3 hours

Maximum Marks: 100

(Weightage: 70%)

Note:

- (i) Attempt any two questions from Section-I. Each question carries 20 marks.
- (ii) Attempt any four questions from Section-II. Each question carries 10 marks.
- (iii) Attempt any four questions from Section-III. Each question carries 5 marks.

SECTION - I

Answer any two of the following questions in about 600 words.

2x20=40

- 1. Describe the nature and importance of U.N. Guidelines 1999 for Consumer Protection.
- 2. State the duties of consumers as provided under the Consumer Protection Act, 1986. Are they necessary? Explain.

- **3.** Explain the Hazard Analysis critical Control Point System (HACPS) and its benefits.
- **4.** Describe the limitations and problems faced by the Consumer Redressal Fora.

SECTION - II

Answer any four of the following questions in about 300 words each. 4x10=40

- 5. What constitutes Deficiency as per Consumer Protection Act, 1986? Explain with the help of decided case laws.
- 6. Describe the composition and Powers of the National Commission under the Consumer Protection Act, 1986.
- 7. What role does the Bureau of Indian Standards (BIS) play in relation to food? Explain.
- 8. Discuss with the help of case laws, what the plaintiff has to prove for action against medical negligence.
- 9. Describe the conditions that the state governments can prescribe to regulate the manufacture, sale and distribution of Drugs and Cosmetics under the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
- **10.** Discuss the role of Consumer Activist in Consumer Protection in India.

CPI 2

SECTION - III

Write short notes on **any four** of the following in about 150 words each. 4x5=20

- 11. Right to Consumer Education
- 12. Frivolous Complaint
- 13. Meat Products Order
- 14. Aims and objects of the Competition Act, 2002
- **15.** Main features of the Standard of Weights and Measures Act, 1976
- 16. Additional powers conferred upon the Consumer Fora by the Amendment made in 2002 in the Consumer Protection Act, 1986

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम सत्रांत परीक्षा

जून, 2019

सी.पी.आई. : उपभोक्ता संरक्षण - मुद्दे

समय: 3 घंटे

अधिकतम अंक : 100

(कुल का 70%)

- नोट: (i) भाग-I: से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।
 - (ii) भाग-II : से **किन्हीं चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।
 - (iii) भाग-III : से **किन्हीं चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

भाग - I

निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक का) लगभग 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं। 2x20=40

- उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश, 1999
 के स्वरूप और महत्व का वर्णन कीजिए।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत वर्णित उपभोक्ता के कर्त्तव्यों की जानकारी दीजिए। क्या ये ज़रूरी है? - स्पष्ट कीजिए।

- 3. खतरा विश्लेषण नियंत्रण बिंदु प्रणाली (HACPS) और इसके लाभों का वर्णन कीजिए।
- 4. उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष आने वाली सीमाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए।

भाग - 11

निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक का) लगभग 300 शब्दों में दीजिए। 4x10=40

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कमी से क्या अभिप्राय है? निर्णीत निर्णय-विधियों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।
- 6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग की संरचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए।
- खाद्य पदार्थ के संदर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की क्या भूमिका होती है? वर्णन कीजिए।
- 8. निर्णीत निर्णय-विधियों की सहायता से चर्चा कीजिए कि चिकित्सा लापरवाही के विरुद्ध क्रिया के लिए वादी को क्या सिद्ध करना पड़ता है?
- 9. औषधि एवं प्रसाधन-सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत औषधियों और प्रसाधन-सामग्री के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए राज्य सरकारें जो शर्तें निर्धारित कर सकती हैं, उनका वर्णन कीजिए।
- 10. भारत में उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता कार्यकर्ता की भूमिका की चर्चा कीजिए।

भाग - III

निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** पर (प्रत्येक पर) लगभग 150 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 4x5=20

- 11. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
- 12. झुठी शिकायतें
- 13. माँसाहार उत्पाद आदेश
- 14. प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के लक्ष्य व उद्देश्य
- 15. मानक भार व तोल अधिनियम, 1976 की मुख्य विशेषताएँ
- 16. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में 2002 में संशोधन करके उपभोक्ता फोरम को प्रदान की गई अतिरिक्त शक्तियाँ